

राजस्थान सरकार
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्पकासेरिया

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कासेरिया व भूअ.नि. शकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कासेरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्बत् 2018-19 में खाता संख्या 121 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
①	कासेरिया	121	सोहनी बैपा	सोहनी धर


 (रतनलाल रेगर)


पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 469/18

दिनांक :- 18/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावाये ।
2. प्रार्थी श्री मात्रे सोहनी धरपत्नी स्वामी को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली जाह


 (रतनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा